सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलीय अधिकारी
पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
पश्चिम क्षेत्र संचरण प्रणाली -1 नागपूर.

संदर्भ: प क्षे /पी. एम. एस. /340/ 2349 दिनांक: 13.07.2018
अपील दिनांक: 20.06.2018

अपीलकर्ता का नाम : श्री. सुरेश जगन्नाथ सालुंके
M2-22/1, सिहगढ कालोनी,
एन-6 , औरंगाबाद- *431001*

जन अधिकारी का नाम : पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
पश्चिम क्षेत्र संचरण प्रणाली -1 नागपुर.

द्वारा : श्री. पंकज दलाल,
जन सुचना अधिकारी
पावर ग्रिड पश्चिम क्षेत्र -1 नागपुर.

आवेदन दिनांक 10.05.2018 के उत्तर मे जन सूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 06.06.2018 द्वारा प्रदत्त सूचना से असंतुष्ट होने के कारण अपील कर्ता ने निम्न अपील की है –

"गोलटगाव ता जि औरंगाबाद में खेती की जमीन गट नंबर १०५ में स्थित टॉवर क्रमांक ११५/१, इस लाईन की वजह से हुये नुकसान की मुआवजा राशि आपने कितने लोगो को दी है, उनके नाम और दी गई राशि की जानकारी प्रदान किजीये.

गट क्रमांक ५ में किसान सुरेश जगन्नाथ सांळुके इन को अब तक कुल कितनी मुआवजा राशि दी है एवं और कितनी मुआवजा राशि देनी बकाया है इसकी विस्तार में जानकारी दिजीये , आपके द्वारा इस विषय में पूर्व में दी गई जानकारी गलत है.

कुसूमाबाई अर्जुन सालंके गट नंबर १०५, रक्कम १७४०६, रुपये २.अरुण साहेबराव साळुके गट नंबर १०५, १९८७, ३. कल्याण साहेबराव सांळुके गट नंबर-१०५, रक्कम रुपये, २२७०/- ४. कुसूमबाई अर्जुन साळुके गट नंबर १०५, २८३८ ५. प्रकाश साहेबराव साळुके गट नंबर-१०५, ७०९५, इन सब को दी गई मुआवजा राशि की जानकारी गलत है.

प्रकाश साहेबराव सांळुके इनका गट नंबर १०० में नाम नहीं है, इन्हे आपने किस आधार पर मुआवजा राशि दी है, इसकी विस्तार में जानकारी दिजीये यह आपसे विनती है.

अपील, दिनांक 20.06.2018, इस कार्यालय को 20.06.2018 को प्राप्त होने पर जन सूचना अधिकारी को बुलाया गया तथा अपील में की गयी शिकायत से अवगत कराया गया। जन सूचना अधिकारी को सुना गया तथा उन्होने प्रदत्त सूचना से संबंधित मदनुसार निम्नलिखित तथ्य व दस्तावेज प्रस्तुत किये –

आपके द्वारा प्राप्त आवेदन का उत्तर , हमारे पत्र संदर्भ संख्या: प.क्षे.पा.प्र.-1/पी.एम.एस./340/ 2171 दिनांक 06.06.2018 द्वारा आपको दिया गया है, तथा इस पत्र द्वारा चाही गयी निम्नलिखित जानकारी प्रदान की गई थी:

<table>
<tr><th>क्र .सं</th><th>मांगी गई जानकारी</th><th>उत्तर / जानकारी</th></tr>
<tr><td>1</td><td>विषय:-
गोलटगाव ता जि औरंगाबाद में खेती की जमीन गट नंबर १०५ में स्थित टॉवर क्रमांक ११५/१, इस लाईन की वजह से हुये नुकसान की मुआवजा राशि आपने कितने लोगो को दी है, उनके नाम और दी गई राशि की जानकारी प्रदान किजीये. 765kV डबल सर्कीट-I वर्धा – औरंगाबाद</td><td rowspan="3">पावरग्रिड औरंगाबाद कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार गांव गोलाटांव के गट नंबर औरंगाबाद लाइन 01 और 02 -में 765 केवी डी / सी वर्धा 105 के टॉवर नंबर 115/1 के निर्माण के दौरान स्थायी फ़सल के ख़िलाफ़ भुगतान किए गये मुआवजे का विवरण नीचे दिया गया है :
<table>
<tr><th>क्र . सं</th><th>भूमि के मालिक / किसान का नाम</th><th>गट नं</th><th>गाव का नाम</th><th>मुआवजा राशी (रु)</th><th>भुगतान का माध्यम</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>कुसुमबाई अर्जुन सालुंके</td><td>105</td><td>गोलटगांव</td><td>17406</td><td>चेक</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>काकासाहेब निवृत्ति सालुंके</td><td>103/4</td><td>गोलटगांव</td><td>74923</td><td>चेक</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>अरुन साहेबराव सालुंके</td><td>105</td><td>गोलटगांव</td><td>1987</td><td>चेक</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>कल्याण साहेबराव सालुंके</td><td>105</td><td>गोलटगांव</td><td>2270</td><td>चेक</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>कुसुमबाई अर्जिन सालुंके</td><td>105</td><td>गोलटगांव</td><td>2838</td><td>चेक</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>प्रकाश साहेबराव सालुंके</td><td>105</td><td>गोलटगांव</td><td>7095</td><td>चेक</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>अर्जुन त्रिम्बक सालुंके</td><td>109</td><td>गोलटगांव</td><td>25542</td><td>चेक</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>कमलाबाई चिमाजि शिंदे</td><td>316</td><td>गोलटगांव</td><td>18447</td><td>चेक</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2</td><td>कालावधी:- 2011 ते 2018</td></tr>
<tr><td>3</td><td>चाही गयी जानकारी का वर्णन :-
गोलटगाव ता जि औरंगाबाद में खेती की जमीन गट नंबर १०५ में स्थित टॉवर क्रमांक ११५/१, इस लाईन की वजह से हुये नुकसान की मुआवजा राशि आपने कितने लोगो को दी है, उनके नाम और दी गई राशि की जानकारी प्रदान किजीये. 765kV डबल सर्कीट-I वर्धा – औरंगाबाद</td></tr>
</table>

अपील की प्राप्ति के बाद अपील को औरंगाबाद सबस्टेशन में भेज दिया गया। और आवेदक द्वारा वांछित जानकारी निम्नलिखित के अनुसार प्रस्तुत की गई है:

<table>
<tr><th>मांगी गई जानकारी</th><th>उत्तर/ जानकारी</th></tr>
<tr><td>१) गोलटगाव ता जि औरंगाबाद में खेती की जमीन गट नंबर १०५ में स्थित टॉवर क्रमांक ११५/१, इस लाईन की वजह से हुये नुकसान की मुआवजा राशि आपने कितने लोगो को दी है, उनके नाम और दी गई राशि की जानकारी प्रदान किजीये.</td><td>१) गट नं १०५ गाव- गोलटगाव ता.+ जि. औरंगाबाद टॉवर क्र. ११५/१ के काम दौरान स्थायी फसल नुकसान के लिए भुगतान किए मुआवजे का विवरण, पॉवरग्रिड औरंगाबाद कार्यालय में उपलब्ध रेकॉर्ड के अनुसार आपको इसके पहले दिया जा चुका है और जो की सही है.</td></tr>
<tr><td>२) गट क्रमांक ५ में किसान सुरेश जगन्नाथ सांळुके इन को अब तक कुल कितनी मुआवजा राशि दी है एवं और कितनी मुआवजा राशि देनी बकाया है इसकी विस्तार में जानकारी दिजीये , आपके द्वारा इस विषय में पूर्व में दी गई जानकारी गलत है.</td><td>२) श्री सुरेश जगन्नाथ सांळुके इनके नाम से टॉवर क्र ११५/० से १५५/१ के बिच तार खिचने के काम दौराण स्थायी फसल नुकसान के लिए भुगतान किए मुआवजे का विवरण नीचे दिया गया है. इसके अलावा अगर कोई नुकसान भरपाई मुआवजा मिलना बाकी है तो आपसे अनुरोध है की आप पॉवरग्रिड, गाव चित्तेपिंपळगाव, ता.औरंगाबाद कार्यालय से संपर्क करे.
<table>
<tr><th>क्र.सं</th><th>भूमि के मालिक / किसान का नाम</th><th>गट नं</th><th>गाव</th><th>मुआवजा रक्कम रु.</th><th>माध्यम</th></tr>
<tr><td>1</td><td>सुरेश जगन्नाथ सांळुके</td><td>105</td><td>गोलटगाव</td><td>११९२०</td><td>चेक</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>३) प्रकाश साहेबराव सांळुके इनका गट नंबर १०० में नाम नहीं है, इन्हे आपने किस आधार पर मुआवजा राशि दी है, इसकी विस्तार में जानकारी दिजीये</td><td>३) श्री प्रकाश साहेबराव साळुके इन्हे रुपये ७०९५/- का फसल नुकसान मुआवजा संबंधित राजस्व अधिकारी (तलाठी सजा) द्वारा स्वामित्व सत्यापन के आधार पर दिया गया है. यह मुआवजा राशि या तो सड़क और तार खिचने के काम दौराण हुए फसल नुकसान के लिए भुगतान किया गया है</td></tr>
</table>

निर्णय :

मैंने आवेदक की अपील एवं मांगी गयी सूचना से संबन्धित सभी दस्तावेजो को देख लिया है तथा जन सूचना अधिकारी को सुनने के बाद, मेरा निष्कर्ष यह है कि जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूचना सही है, तदनुसार अपील खारिज की जाती है।

(डॉ. वी. के. खरे)
कार्यपालक निदेशक, प. क्षे. -1
अपीलीय अधिकारी

उपरोक्त जानकारी से संबंधित यदि आपको कोई द्वितीय अपील करना हो तो उसे प्रथम अपीलीय अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति से 90 दिनों के भीतर द्वितीय अपीलीय अधिकारी को किया जा सकता है।

द्वितीय अपीलीय अधिकारी का पता
सेंट्रल इन्फोर्मेशन कमिशन
आर. संख्या 326, सी विंग, दूसरा माला
अगस्त क्रांति भवन
भिकाजी कामा स्थल
नई दिल्ली-110 066

प्रति:

श्री. सुरेश जगन्नाथ सालुंके
M2-22/1, सिहगढ कालोनी,
एन-6 , औरंगाबाद- 431001

1. जन सूचना अधिकारी
   पावर ग्रिड पश्चिम क्षेत्र-1
   नागपुर.

2. उपमहाप्रबंधक, **औरंगाबाद**

3. **प्रबंधक, सतर्कता**